न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 43/2013

1 रूघनाथ पुत्र गीदाराम।
2 शिवभगवान पुत्र गीदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुड़ली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्यारेलाल पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी कुड़ली तहसील व जिला सीकर।
2 श्रीमती छोटी देवी पत्नी कालूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 38 राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।
3 श्रीमती इन्दिरा देवी पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाणी बाज्यावाली तन सौंथलिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 बरजी (मृत) पुत्री घड़सीराम पत्नी बक्सूराम जाति जाट निवासी ढ़ाका की ढ़ाणी तन सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
4/1 कमला पुत्री बरजी पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर।
4/2 सरबती (मृत) पुत्री बरजी धर्मपत्नी हरिराम।
4/3 भागोती पुत्री बरजी धर्मपत्नी हरिराम समस्त जाति जाट निवासीगण रशीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
4/2/1 सुरेन्द्र पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी ढ़ाका की ढ़ाणी तन सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
5 सिणगारी पुत्री घड़सी (मृत)।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5/1 छीतर पुत्र सिणगारी बेवा हुकमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर।
6 दड़की पुत्री घड़सी (मृत)।
6/1 बोदु पुत्र दड़की स्त्री माला (मृत)।
6/1/1 मोहनी बेवा बोदुराम।
6/1/2 बजरंगलाल पुत्र बोदुराम।
6/1/3 गोविन्दा पुत्र बोदुराम।
6/1/4 शंकरलाल पुत्र बोदुराम।
6/1/5 महेन्द्र पुत्र बोदुराम।
6/1/6 पप्पु कुमार पुत्र बोदुराम।
6/1/7 राजेश पुत्र बोदुराम।
6/2 कैलाश (मृत) पुत्र दड़की स्त्री माला।
6/2/1 नारायणी पत्नी कैलाश।
6/2/2 सोहन पुत्र कैलाश।
6/2/3 प्रकाश पुत्र कैलाश समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बराल तहसील व जिला सीकर।
6/3 बनवारी पुत्र दड़की स्त्री माला।
6/4 कमला पुत्री दड़की स्त्री माला।
6/5 पुरा देवी पुत्री दड़की स्त्री माला समस्त जाति जाट निवासीगण बराल तहसील व जिला सीकर।
7 देबूराम पुत्र मोटाराम।
8 रिछपाल पुत्र मोटाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुड़ली तहसील व जिला सीकर।
9 उप पंजियक सीकर।
10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सीकर बहैसियत भूमिधारक।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नियमित अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 04.03.2013 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 184/2002 शीर्षक प्यारेलाल बनाम रूघनाथ आदि अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री जयसिंह मील, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 22.03.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 184/2002 मे पारित निर्णय दिनांक 04.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी प्यारेलाल ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में एक दावा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुड़ली तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 1.06 हैक्टेयर जिसके नवीन खसरा नम्बर 838/542 रकबा 0.43 हैक्टेयर व नवीन खसरा नम्बर 839/542 रकबा 0.63 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों नवीन खसरा नम्बर का कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 1.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 722 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.42 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 759 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.61 हैक्टेयर अवस्थित है, जिसमें खसरा नम्बर 758 व 759 खातेदार हुक्माराम पुत्र भोमा जाति जाट निवासी ढ़ाणी ढ़ाका की तन बाजौर से जरिये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विक्रय पत्र दिनांक 02.09.1993 को अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रूघनाथ व शिवभगवान एवं रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी प्यारेलाल पुत्र गीदाराम ने खरीद की थी तथा इन विक्रीत भूमि खसरा नम्बर 758 व 759 को अपनी पैतृक वंशानुगत खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 542,634,722ा व 757 में शामिल कर इन खसरा नम्बरान की भूमियों को पैतृक वंशानुगत आराजी के रूप में सभी खसरा नम्बर 542,634,722,757,758 व 759 का बंटवारा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 प्यारेलाल एवं अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रूघनाथ व शिवभगवान जो तीनों खातेदार गीदाराम के जायन्दा पुत्र सगे भाई है तथा प्रत्येक 1/3,1/3 हिस्से के हकदार है, बाहमी रूप से बंटवारा कर लिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 121 रकबा 0.32 हैक्टेयर में भी अपीलांट्स प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 1/वादी प्यारेलाल के शामलाती 1/3 हिस्सा अर्थात 0.11 हैक्टेयर मे बहिस्सा बराबर बराबर इन तीनों एवं मृतक माता उमा देवी पत्नी गीदाराम का बनता है। उक्त 1/3 भाग की आराजी 0.11 हैक्टेयर सम्पूर्ण का जरिये समोचन पत्र 100/- रूपये स्टाम्प कमांक 8926 द्वारा अपीलांटस रूघनाथ, शिवभगवान व स्व0 माता उमा देवी ने रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी प्यारेलाल के पक्ष में दिनांक 18.09.2009 को पंजीकृत करवा दिया तथा समोचन की गयी आराजी पर कब्जा समोचनगृहिता प्यारेलाल रेस्पोडेंट संख्या 1 को करवाने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी प्यारेलाल ने समोचन की गयी आराजी रकबा 0.11 हैक्टेयर को पूर्णराम जाट निवासी कुड़ली को बेचान कर दिया। इस प्रकार खसरा नम्बर 121 में शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5/5 व 6 एवं 7 का है, इस प्रकार वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी प्यारेलाल ने बंटवारा अपने वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार होना अंकित किया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रूघनाथ व शिवभगवान के हाजीर होने के पश्चात रेस्पोडेंट/वादी प्यारेलाल का जवाब देते हुए बाहमी बंटवारा होना स्वीकार किया परन्तु वाद के पैरा संख्या 4 के

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुसार बंटवारा होना अस्वीकार किया है, इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय में तनकीयात कायम कर वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य के पश्चात दिनांक 17.11.2006 को अपना निर्णय पारित करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सीकर को मुताबिक निर्णय दिनांक 17.11.2006 के अनुसार निर्देश दिये कि मौके पर फरीकेन के मध्य नाप जोख करके सींव नींव इस प्रकार से कायम करवाने की माननीय राजस्व मण्डल के रास्ता सम्बंधी निर्देशों की पालना भी हो, नक्शा मौका बंरग अलग–अलग वादी एवं प्रतिवादीगण मुर्तब करके तीन प्रतियों में मय रिपोर्ट पेश करें ताकि बंटवारे की अन्तिम आज्ञा जारी की जा सके तथा उक्त आदेश निर्देश/निर्णय के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 05.05.2007 को अन्तिम डिक्री पारित करते हुये निर्णय दिया। जिसके विरूद्व अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर में अपील संख्या 88/2007 प्रस्तुत की, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2009 को उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2007 को खारिज करते हुये प्रकरण को अदालत मातहत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह तहसीलदार सीकर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करके ही अपना निर्णय पुन पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत ने दिनांक 25.02.2009 उपस्थित होवें। जिसकी द्वितीय अपील रेस्पोडेंट/वादी प्यारेलाल द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 05.02.2009 जिन्होने उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2007 को निरस्त किया कि अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 07.09.2012 को वकील अपीलांट प्यारेलाल द्वारा प्रकरण अपील को विड्रा करने के कारण अपील खारिज की जाकर पुन प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सीकर को प्राप्त हुआ, जिस पर अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पूर्व में पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.11.2006 में एक आंशिक रूप से संशोधन दिनांक 04.03.2013 को पारित निर्णय में करते हुए प्राथमिक डिक्री में आंशिक रूप से संशोधन जारी कर तहसीलदार सीकर को मुताबिक निर्णय दिनांक 04.03.2013

भू-प्रबन्ध ... एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

के अनुसार सींव नींव कायम कर विभाजन की डिक्री की पालना करने का चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के उपरान्त तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नही किये अपितु धारा 212 में तैयार मौका रिपोर्ट को ही आधार मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित ऐसा निर्णय विधि विरूद्व है। विचारण न्यायालय ने विभाजन के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अत अपील स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर पुन गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय दिनांक 04.03.2013 से विस्तृत विवेचन कर डिक्री पारित की है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2007 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील संख्या 88/2007 प्रस्तुत की गई थी। जिसमे निर्णय दिनांक 05.02.2009 को निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.05.2007 खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया गया था कि तहसीलदार सीकर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करके ही अपना निर्णय पुन पारित करें। विचारण न्यायालय में रिमाण्ड से पत्रावली 19.09.2012 को प्राप्त होने का अंकन विचारण न्यायालय की आदेशिका मे है। इसके

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरान्त विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये बिना ही विचाराधीन निर्णय पुनः पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव बाबत प्राप्त करे तदुपरान्त उभयपक्ष को आपत्ति/ सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक **08.04.2021** को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.21........ को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर